

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-20/02/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक इको पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के तहत जयप्रकाश उद्यान, राजगीर के उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल ₹388.11 लाख (तीन करोड़ अठासी लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹140.02 लाख (एक करोड़ चालीस लाख दो हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक इको पर्यटन एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के तहत जयप्रकाश उद्यान, राजगीर के उन्नयन एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल ₹388.11 लाख (तीन करोड़ अठासी लाख ग्यारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल ₹140.02 लाख (एक करोड़ चालीस लाख दो हजार रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-68 दिनांक-20.01.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्यजीव, लघु शीर्ष-112-सार्वजनिक उद्यान, उपशीर्ष-0101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास, मांग संख्या-19, विपत्र कोड-19-2406021120101 के विषय शीर्ष-लघु कार्य-0101.27.01 तथा 0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तियाँ के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार से की जायेगी।

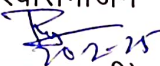
4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

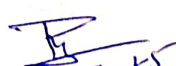
7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।
 8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
 9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
 11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
 13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
 14. संचिका संख्या-44/2025 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-10.02.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-17.02.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
 15. संचिका संख्या-44/2025 के पृष्ठ-06/टि० पर दिनांक-18.02.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त है एवं संचिका के पृष्ठ-07/टि० पर दिनांक-19.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।**

विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

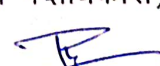
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-44/2025 **796** / प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-20/02/2025
प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-44/2025 **796** / प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-20/02/2025
प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

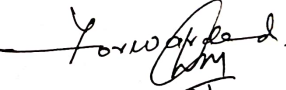
सरकार के संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE					
GOVERNMENT OF BIHAR					
Upgradation and Renovation of Jayprakash Park at Rajgir FY 2024-25 and FY 2025-26					
COST INDEX					
SL.No	Description of Work Head	FY 2024-25	FY 2025-26	Total Cost (Rs)	Enclosure
1	Upgradation of existing boundary wall with provision of railing	3200000	4568694	7768694 ✓	Annexure-1
2	Provision of Stone Wall bifurcation	0	834701	834701 ✓	Annexure-2
3	Renovation of toilet block and provision of drinking water points 3 Nos.	0	2612289	2612289 ✓	Annexure-3
4	Upgradation of existing Pathway at Jayprakash Park Rajgir.	0	6509930	6509930 ✓	Annexure-4
5	Upgradation of Moorum Parking area at Jayprakash Park Rajgir	3369676	0	3369676 ✓	Annexure-5
6	Provision of Basic Amenities (Benches, Signboards, CCTV and Tensile works) at Jayprakash Park Rajgir.	2473236	2473235	4946471 ✓	Annexure-6
7	Upgradation of existing Main Gate with provision of Welcome Mural at Jayprakash Park Rajgir	3105000	3483019	6588019 ✓	Annexure-7
8	Renovation of Kids-zone at Jayprakash Park, Rajgir.	1854619	4327443	6182062 ✓	Annexure-8
	Total Cost	14002531	24809311	38811842	


Range Officer of Forest
Rajgir Range


Divisional Forest Officer
Nalanda Forest Division, Bihar Shariff

वर्ग संख्या, प्लान के लिए, प्लान का फंड 223 को 30.1.25 तक जमा कराया,
आपका वृत्त 30 का पत्रा 4344 को 28/1/24 तक सफल स्वरूप प्राप्त
होने के बाद ही इसका अंतिम रूप देकर सावधानी पूर्वक करवाया जाये, प्लान
की अंतिम स्वीकृति के आधार पर कर का सीकड़ा प्लान नंबर 80388, 11, 842
(10 गैर करीब अंतिम) मातल ग्याह टनल का 6 सौ करोड़) का
के लिए रजिस्ट्री अंतिम रूप दी गयी है।


Conservator of Forests
Patna Circle, Patna


क्षेत्रीय मुख्य वन परीक्षक,
पटना।